R.M.M. Law College
Saharsa.
Amrendra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Sub- Evidence part III

Q. दस्तावेजों का प्राथमिकता साक्ष्य द्वारा साबित करना !—

"अंतर्वस्तु साक्ष्य" के सिद्धान्त पर दस्तावेज सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है। अगर कोई प्रकार दस्तावेज स्वयंमेव अपनी अन्तर्वस्तु का सर्वोत्तम अच्छा साबित होता है किन्तु प्राय ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता और उनको पेश करना संभव नहीं होता। अतः यह धारा यह अधिनियमित करती है कि समान्यतः दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित की जानी चाहिए किन्तु धारा 65 में कही गई परिस्थितियों के कारण प्रकार से भी, अर्थात् द्वितीयक साक्ष्य से भी साबित की जा सकती है उन व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य से भी साबित किया जा सकता है, जिन्होंने स्वयं देखा दिया गया था बयान देते हैं कि दस्तावेज या उसका उल्लेख रहता हो आधार पर कि अमुक समय पर उपस्थित था।

यह गिरजाघर की वैवाहिक रजिस्टर की अन्तर्वस्तु रजिस्टर के द्वारा विवाहपरक तथ्य ही तो यह रजिस्टर साबित की जा सकती है किन्तु विवाह ही साबित की जा सकती उन व्यक्तियों के द्वारा या यह तथ्य उन व्यक्तियों के मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है जो विवाह के समय उपस्थित थे।

Scanned with CamScanner

और भी विवाह के उनका उपनियम थे और
जिन्होने विवाह होते देखा था।

मूल दस्तावेज आक्षेप निर्धारण के अनुसार
आवश्यक है अपील मे भी किया जा सकता है,
जिन दस्तावेज पर प्रत्यर्थी द्वारा बिना आपत्ति-
के बिना एक्जिबिट मार्क पड जाते हैं,
उसकी ग्राह्यता पर किसी विधिक पर
या सवाल पर कोई आपत्ति नही उठाया
जा सकता है।

जब कोई दस्तावेज उचित तरीके
से प्रमाणित कर ली जाती है तो उसकी
अन्तर्वस्तु भी साक्ष्य मे ग्राह्य होगी
चाहे वह मिश्रयान साक्ष्य नही भी
हो।

जो धारा 66 में वर्णित सूचना
के पश्चात न्यायालय मे पेश नही करता है
तब मूल प्रमाण नष्ट हो गया होगा

मूल धारा-74 का अर्थ के अन्तर्गत एक
लोक दस्तावेज माना गया है।

मूल दस्तावेज निष्पादक स्वयं सबूत के
तौर पर दे सकता है।

[illegible]ला कल्याण योजना [illegible] सहरसा